

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1538 / तकनीकी / एक / 2010

भोपाल, दिनांक 22.5.10

प्रति,

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक

समस्त जिला पंजीयक,

समस्त वरिष्ठ उप पंजीयक

समस्त उप पंजीयक

मध्यप्रदेश

विषय :- सम्पत्ति अंतरण के दस्तावेजों के त्वरित पंजीयन की व्यवस्था ।

संदर्भ :- इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांक 2376 / तक / एक / 05 दिनांक 20.9.2005

इस कार्यालय द्वारा जारी, उक्त संदर्भित परिपत्र द्वारा राज्य में बिना स्थल निरीक्षण किये दस्तावेजों के त्वरित पंजीयन की व्यवस्था लागू की गई थी । उक्त व्यवस्था लागू होने के पश्चात् कई ऐसे प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिनमें पक्षकारों द्वारा गलत विवरण एवं गलत फोटो प्रस्तुत कर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का अपवंचन किया गया है । अतएव उक्त परिपत्र दिनांक 20.9.2005 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

महानिरीक्षक पंजीयन

मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक / / तकनीकी / एक / 2010

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :-

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

महानिरीक्षक पंजीयन

मध्यप्रदेश